

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.6(232)परि/कर/मु./15 / 15837

जयपुर, दिनांक 17-8-2015

कार्यालय आदेश 29/2015

विषय :- वाहन डीलर्स द्वारा कम कीमत के विक्रय बिल जारी किये जाने से हो रही राजस्व हानि के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश 30/2014 की निरन्तरता में निम्न संशोधित आदेश जारी किया जाता है -

गैर परिवहन यानों के कर की गणना करने के लिये एक्स शोरूम प्राईस का निर्धारण वाहन निर्माताओं द्वारा समय-समय पर वाहन विक्रय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई छूट/रियायत को स्वीकार करते हुए किया जावे। इसी प्रकार वाहन निर्माताओं द्वारा उनकी कंपनी की नीति के तहत यदि किसी ग्राहक/संस्था को वाहनों की एकमुश्त खरीद (Bulk Purchase) पर छूट/रियायत दी जाती है तो उस छूट/रियायत को स्वीकार किया जाकर एक्स शोरूम प्राईस का निर्धारण किया जावे।



(गायत्री राठौड़)

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक:- प.6(232)परि/कर/मु./15 / 15838-45
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

जयपुर, दिनांक: 17-8-2015

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, एसीपी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र।
8. रक्षित पत्रावली।


14/8/2015
अपर परिवहन आयुक्त (कर)